भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2781
दिनांक 12 दिसंबर, 2024

जंग के कारण पाइपलाइन में लीकेज और टूटन

†2781. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:
श्रीमती शांभवी:
श्री नरेश गणपत म्हस्के :
श्री राजेश वर्मा :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान पाइपलाइन में जंग लगने के कारण हुए रिसाव या टूटने की संख्या के आंकड़े क्या हैं तथा इन्हें ठीक करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है;
(ख) रक्षात्मक ड्राइविंग और सिम्युलेटर आधारित प्रशिक्षण दिए गए टैंक ट्रक चालक दल की संख्या के आंकड़े क्या हैं;
(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान पेट्रोलियम उद्योग में तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय द्वारा किए गए सुरक्षा ऑडिट की संख्या के आंकड़े क्या हैं तथा कौन से सुरक्षा मानक निर्धारित किए गए हैं; और
(घ) क्या सरकार द्वारा पेट्रोलियम परिवहन और भंडारण में अवसरों और सुरक्षा उपायों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, कोई पहल की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क): पिछले 5 वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में अब तक जंग लगने के कारण होने वाले रिसाव या टूट-फूट के कारण कुल पांच दुर्घटनाएं हुई हैं।

तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओआईएसडी) ने पाइपलाइन की अखंडता को बढ़ाने के लिए पाइपलाइन सुरक्षा संबंधी मानकों नामत: ओआईएसडी-एसटीडी-141 (तरल पाइपलाइनों के लिए), ओआईएसडी-एसटीडी-214 (एलपीजी पाइपलाइनों के लिए), और ओआईएसडी-एसटीडी-226 (प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के लिए) को अधिसूचित किया है।

पाइपलाइनों में आंतरिक कमियों अथवा जंग का पता लगाने के लिए इंटेलिजेंट पिगिंग और मैग्नेटिक टोमोग्राफी विधि (एमटीएम) जैसे उन्नत डायग्नोस्टिक उपकरणों का उपयोग प्रासंगिक मानकों के अनुसार किया जाता है। जब भी आवश्यकता होती है पाइपलाइनों में बाहरी कोटिंग सिस्टम, जंग अवरोधकों की डोजिंग और बायोसाइड्स के प्रक्षेपण जैसे जंग संरक्षण और शमन उपायों को कार्यान्वित किया जाता है।

इसके अलावा, तेल और गैस कंपनियों ने भूमिगत पाइपलाइनों को रिसाव और टूट-फूट से बचाने के लिए विभिन्न उपायों को कार्यान्वित किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ रियल टाइम मानीटरिंग के लिए पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण (एस.सी.ए.डी.ए) प्रणाली का उपयोग, नियमित सुरक्षा गश्त, रिसाव का पता लगाने वाली प्रणाली (एलडीएस), पाइपलाइन अंतर्वेधन का पता लगाने वाली प्रणाली (पीआईडीएस), ऋणात्मक दबाव तरंग रिसाव का पता लगाने वाली प्रणाली, भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) आधारित पाइपलाइन मानचित्रण आदि शामिल हैं।

(ख) पिछले पांच वर्षों में 3.5 लाख से अधिक चालक दल के सदस्यों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कम्पनियों (ओएमसी) ने रक्षात्मक ड्राइविंग और सिम्युलेटर आधारित प्रशिक्षण सहित विभिन्न प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए हैं।

(ग) तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओआईएसडी) ने पिछले पांच वर्षों के दौरान 51,600 किलोमीटर से अधिक क्रॉस-कंट्री पाइपलाइनों को कवर करते हुए तेल और गैस संस्थपनाओं की 1,316 बाह्य सुरक्षा ऑडिट की हैं।

(घ) ऑयल पीएसयू ने पेट्रोलियम परिवहन और भंडारण में अवसरों और सुरक्षा उपायों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न पहल की हैं। इन पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं:

i. तेल एवं गैस संस्थपनाओं के आसपास गांव में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करके संभावित खतरों, संबंधित जोखिमों और आवश्यक सुरक्षा उपायों के विषय में जानकारी देना।
ii. आपातकालीन परिदृश्य, पर्यावरण संरक्षण और सामान्य सुरक्षा संबंधी पद्धतियों पर जागरूकता अभियान।
iii. टैंक ट्रकों पर खतरनाक रसायन (एचएजेडसीएचईएम) चिन्ह प्रदर्शित करना।
iv. वाहन ट्रैकिंग लागू की गई है
V. टैंक ट्रक (टीटी) चालक दल को रक्षात्मक ड्राइविंग और सिम्युलेटर-आधारित प्रशिक्षण।
vi. सुरक्षा उपाय जैसे लिमिटेड डिवाईस, टर्मिनल ऑटोमेशन सिस्टम (टीएएस), उन्नत अग्निशमन प्रणालियां और रिमोट संचालित शट-ऑफ वाल्व (आरओएसओवी)
vii. बिलबोर्ड के माध्यम से जागरूकता अभियान सहित खुदरा दुकानों पर सुरक्षा उपायों को बढ़ावा देना।
viii. विभिन्न माध्यमों जैसे टीवी/रेडियो जिंगल्स, लघु क्लिप, एलपीजी पंचायत, जागरूकता अभियान आदि के माध्यम से एलपीजी सिलेंडरों के सुरक्षित प्रचालन को बढ़ावा देना।

आपातकालीन स्थितियों के लिए तैयारी सुनिश्चित करने और संकट के दौरान समन्वय बढ़ाने के लिए, तेल और गैस कंपनियों की सक्रिय भागीदारी के साथ जिला प्रशासन द्वारा ऑफसाइट मॉक ड्रिल भी आयोजित की जाती है।